



17 3 DEC 2004

020815

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन-भोपाल 462004

क्रमांक ए.ब. 7-28/2004/अ.090/एक

भोपाल, दिनांक 4-12-2004

प्रति,

सहायक प्रमुख राक्षि/अचिव,  
सहायक विभागाध्यक्ष,  
सहायक जिलाध्यक्ष,  
मध्य प्रदेश ।  
= = = = =

विषय: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के वैकल्पिक की पूर्ति हेतु विशेष  
भरती अभियान-कीर, मीना एवं पारधी जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति  
की जानकारी ।

संसद द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश {संशोधन} अधिनियम, 2002 पारित कर मध्य प्रदेश राज्य के लिये अनुसूचित जनजातियों की सूची के क्रमांक 21, 32 एवं 39 पर अंकित "कीर", "मीना" एवं "पारधी" जनजातियों को शामिल किया है । तद्विकल्पक अधिसूचना भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 2003 को जारी की गई है ।

2/ राज्य शासन की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वैकल्पिक पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 19 सितम्बर, 2002 से विशेष भरती अभियान प्रारंभ किया गया था जो वर्तमान में भी जारी है । इस विशेष भरती अभियान के अन्तर्गत कतिपय विभागों/कार्यालयों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के वैकल्पिक पदों के विन्द कीर, मीना एवं पारधी जाति के कुछ उम्मीदवारों का चयन होकर उन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है ।

3/ भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी, 2003 के तहत कीर, मीना एवं पारधी जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधी जानकारी मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाना है । अतः संलग्न प्रोफार्मा में उक्त जानकारी

..2..

स/स

दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए प्रशासन विभाग  
[आर.ए. प्रकोष्ठ] को जलका कराने का अट इरें ।

*h. r.*  
शुभान सिंह  
सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
साधारण प्रशासन विभाग.

संख्या एफ 7-21/2004/आर.ए.ए./अ  
प्रशासनिक: -  
श्रीमान, दिनांक 4-12-2004

1. प्रमुख सचिव, युवासेवा, मध्य प्रदेश शासन, कलकत्ता भवन-श्रीमान,
2. सचिव, राजस्व, राजस्व, श्रीमान,
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन तथा सचिव, श्रीमान,
4. महाविदेश, प्रशासनिक, श्रीमान,
5. अवर, मध्य प्रदेश शासन, श्रीमान,
6. अवर, मध्य प्रदेश शासन, श्रीमान,
7. मुख्य सचिव के अ सचिव, मध्य प्रदेश शासन, श्रीमान,
8. सचिव, लोकसुख कार्यालय, श्रीमान,
9. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इ. वी. र.

की ओर सुनिश्चित रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोधित ।

*h. r.*  
सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
साधारण प्रशासन विभाग.

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्य प्रदेश

सतपुड़ा भवन, श्रीमान - 462 004

संख्या/स्था/3/एफ/2004/ 2483 /श्रीमान, दिनांक 21/12/2004

प्रतिनिधि: निम्नांकित की ओर शासन द्वारा निर्देशित निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक  
कार्यवाही हेतु अनुरोधित -

1. प्राचार्य, रामदास इंजीनियरिंग महाविद्यालय, मध्य प्रदेश ।
2. प्राचार्य, रामदास पोलिटेक्निक/मोडेल पोलिटेक्निक, मध्य प्रदेश ।
3. अभिरिक्त संचालक, एस पी एफ य, कार्यालय टैंगर होस्टल श्यामला हिल्स,  
श्रीमान ।

कृपया शासन के निर्देशानुसार संलग्न पत्र में जानकारी तैयार कर  
प्रकृत इस संचालनालय को भेजने की व्यवस्था की जाए ।

*h. r.*  
संचालक, तकनीकी शिक्षा  
मध्य प्रदेश  
21.12.04

दिनांक 8 जनवरी, 2003 के बाद अनुसूचित जनजाति को के अन्तर्गत "बीर", "मीना" एवं "रायपुरी" जाति के व्यक्तियों को विद्युत्त की आनोदारी ।

विभाग का नाम .....

कार्यालय/संस्था का नाम .....

| क्र० | विद्युत्त ताले को आवंटित का नाम | जनजाति का नाम/बीर, मीना अथवा संस्था | वय/संस्था का नाम | वय की श्रेणी. | विद्युत्त का दिनांक. | वर्तमान में कक्षा संख्या है ? | अन्य विवरण |
|------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| 011  | 121                             | 131                                 | 141              | 151           | 161                  | 171                           | 181        |

संलग्न प्रमाणपत्र के द्वारा।